30 AUG 2019

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Firoj Alam **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): _____ **Reg. Number:** Awake/F-005

Center & Date: Delhi 30/08/19 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 033129

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

खंड - क/ SECTION - A

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद भारत में सूचना प्राप्त करना एक कानूनी अधिकार है।

RTI Act 2019 की प्रमुख विशेषताएँ

① इसमें मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा नियुक्ति सम्बंधी प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है।

② राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते व नियुक्ति प्रावधानों में भी बदलाव का प्रावधान है।

③ सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

अधिकारों को निर्वाचन आयोग से कम करने का प्रस्ताव है।

पारदर्शी शासन व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगा।

(1) इससे सूचना आयोग पर केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण होगा।

(2) जनता के प्रति जवाबदेहिता कम होगी।

(3) सरकार के दबाव में कार्य कर सकता है।

सुझाव

(1) नियुक्ति में विपक्षी दलों की भी भूमिका हो।

(2) विसिलब्लोवर को सुरक्षा का प्रबंध हो।

सूचना का अधिकार शासन की जवाबदेहिता व पारदर्शिता के लिए आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यत: संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया दो प्रकार से की जा सकती है —

① संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के विशेष बहुमत से पारित करके अर्थात * 2/3 सदस्यों के मतों के द्वारा। जैसे — RTI Act 2019
— तीन तलाक अधिनियम-2019
— NIA Bill - 2019

② कुछ संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (2/3 मत) तथा आधे राज्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये विधेयक संघीय प्रवृत्ति के होते हैं - जैसे -

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

- जीएसटी विधेयक – 2016
- राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया।

इस संशोधन प्रक्रिया की आलोचना

(1) केंद्र को अधिक शक्ति अर्थात संविधान के अधिकतर प्रावधानों में बदलाव पहले उपबंध से किए जा सकते है।

(2) आधे राज्यों की सहमति सत्ता पक्ष की राज्यों में सरकारें दे देती हैं इससे विपक्ष कमजोर रह जाता है।

(3) कई बार सत्ता दल राज्यसभा में अल्पमत में होता है इससे विधेयकों में विलम्ब होता है।

संशोधन प्रक्रिया पर विशेषज्ञ दल गठित करके इसके प्रावधानों का परीक्षण करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों में विभिन्न अप्रासंगिक मुद्दों पर जनहित याचिकाएँ (PILs) दायर करके काम में बाधा पहुँचायी जा रही है।

जनहित के कुछ विषय PILs के मुद्दे हैं, जैसे-

(1) नाज फाउंडेशन द्वारा LGBT के अधिकार के लिए।

(2) PUCL द्वारा चुनाव सुधारों के लिए।

(3) मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए।

(4) PILs के माध्यम से उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहिये जो तात्कालीक अति महत्व के हैं जिनमें विलम्ब से मानव का अधिक नुकसान

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

हो सकता है।

लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित मुद्दे भी PILs के माध्यम से उठाए गए – जैसे –

① वन अधिकार अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर STs को निष्कासित करना।

② आधारभूत संरचनाओं में देरी से बढ़े NPA के विवाद को लेकर

③ अल्पसंख्यकों की परिभाषा के निर्धारण के लिए।

ऐसे मुद्दे PILs के माध्यम से नहीं उठाए जाने चाहिए क्योंकि ये अति आवश्यक महत्व के नहीं हैं।

अतः सरकार को या SC को PILs के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

शक्तिपृथक्करण सिद्धांत के तहत संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का तरीका

① मंत्रियों से प्रश्न पूछना।

② विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि से।

③ बजट पर बहस के द्वारा।

④ संसदीय समितियों के माध्यम से।

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की सीमाएं

① अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना।

② 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

के कारण सत्ता दल के सांसद कार्यपालिका से प्रश्न पूछने में डरते है।

(3) विभिन्न मुद्दों पर व्हिप जारी कर दिया जाता है।

(4) विधेयकों के परीक्षण के लिए संसदीय समितियों के पास कम भेजा जा रहा है। < 15वीं लोकसभा — 58%
16वीं लोकसभा — 32%

सुझाव

(1) व्हिप अति महत्वपूर्ण मुद्दों (अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक) पर ही जारी करना चाहिए।

(2) दल-बदल कानून की समीक्षा की जानी चाहिए।

संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका नियंत्रण शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दवाब समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दबाव समूह प्रायः समान हित रखने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे → 1) किसान दबाव समूह - किसान सभा
FICCI — उद्योगों का हित।

राजनीतिक दल	दबाव समूह
(1) इन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।	(1) इनका RPA, 1951 के तहत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
(2) इनके लिए चुनाव आयोग व आचार संहिता बनी हुई है।	(2) इनके नियंत्रण के लिए कोई स्पष्ट संस्था नहीं है।
(3) विभिन्न जाति, धर्म, व्यवस्थाय, क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं।	(3) प्रायः समसमान मुद्दों पर विचार रखने वाले व्यक्ति शामिल होते।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।
(Candidate must no write on this margi

दबाव समूह द्वारा तरीके

① जनहित याचिका दायर करना।

② मीडिया, सोशल मीडिया में बहस करना।

③ सरकार पर दबाव के लिए आंदोलन करना जैसे — बाढ़ीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा।

सुझाव

① सरकार को नीतियाँ बनाते समय दबाव समूहों से परामर्श करना चाहिए।

② दबाव समूहों की उचित बातों को मीडिया को अधिक दिखाना चाहिए।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में दबाव समूह लोगों की आवाज को उठाते हैं तथा विपक्ष को सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में संसद द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम - 2019 पारित किया।

प्रमुख प्रावधान

① वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध।

② परोपकारी सरोगेसी को मान्यता देता है।

③ सरोगेट मदर नजदीकी रिश्तेदार होनी चाहिए।

④ शादी के पाँच वर्ष पश्चात या बाँझ दंपती ही सरोगेट का विकल्प अपना सकता है।

सरोगेट से सम्बंधित मुद्दों को हल कम है

① सरोगेट मदर का शोषण संभव। पहले

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जुड़वा बच्चे होने में या अपंग बच्चा त्याग दिया जाता है।

(3) बिचौलियों द्वारा सरोगेट मदर का शोषण करेगा।

कमियाँ

(1) अविवाहित जोड़ो, समलैंगिक जोड़ों, NRI आदि के लिए विशेष प्रावधान नहीं है।

(2) सरोगेट मदर के लिए नजदीक रिश्तेदार का मिलना मुश्किल होता है।

सुझाव

(1) वाणिज्यिक सरोगेसी के काला बाजारी को रोकना चाहिए।

(2) सरोगेट मदर के मेडिकल खर्चों व बीमा की उचित व्यवस्था हो।

अतः सरोगेसी के वाणिज्यिक प्रयोग के स्थान पर परोपकारी सरोगेसी का विकल्प बेहतर साबित होगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

राजबाला बनाम हरियाणा सरकार

वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनाव लड़ने में न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को सही माना।

प्रगतिशील कदम कैसे ?

(1) इससे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।

(2) राजनीति में पढ़े-लिखे व्यक्ति अधिक रुची लेंगे।

(3) प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा।

(4) राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा।

इसी कारण से हरियाणा, उत्तराखण्ड असम ने न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य किया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

चुनौतियाँ

① SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम है अतः वे राजनीतिक भागीदारी से वंचित रह जाएँगे।

② विधायकों व सांसदों के लिए भी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

③ अनपढ़ व्यक्ति भी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

सुझाव

① RTE, 2009 को अधिक बेहतर से लागू कर भविष्य में विधायक, सांसद व स्थानीय चुनावों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर विचार किया जा सकता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।

(Candidate must
write on this marg

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये।
(150 शब्द) 10

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

बच्चों को यौन दुर्व्यवहार व शोषण से बचाने के लिए वर्ष 2012 में पोक्सो अधिनियम लाया गया।

पोक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान

① फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना (1 वर्ष में निर्णय की बाध्यता)

② साक्ष्य उपलब्ध कराने का दायित्व अपराधी पर।

③ स्पर्श व गैर-स्पर्श दोनों अपराधों को शामिल किया गया है।

पोक्सो अधिनियम 2019 के प्रावधान

① यौन दुर्व्यवहार में सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन कारावास की गई है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि[खना] चाहिये। (Candidate must [not] write on this mar[gin])

(2) गंभीर यौन अपराध (बच्चे की मृत्यु) में फाँसी की सजा का भी प्रावधान है।

पोक्सो अधिनियम क्रियान्वयन में समस्याएं

(1) राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार बच्चों पर अपराध करने वाले 90% से अधिक लोग जानकार होते हैं अतः मामला दर्ज नहीं किया जाता।

(2) सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पोक्सो के निर्णयों में विलम्ब हो रहा है।

सुझाव

(1) बच्चों को गेम, रूप आदि के माध्यम से जागरूक किया जाए।

कठोर दंड देना तभी सही सिद्ध होगा तब सही से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों के 46वें सत्र में हिस्सा लिया।

ऐतिहासिक क्यों

① 1969 में OIC की स्थापना के समय भारत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

② पाकिस्तान के विरोध के बावजूद UAE व सऊदी अरब का समर्थन।

③ बांग्लादेश, ओमान आदि देशों ने OIC में भारत को सदस्यता की माँग की है।

④ पाकिस्तान को अलग थलग करके इस्लामिक देशों ने भारत को आमंत्रित किया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये।
(Candidate mu... write on this m...)

भू राजनीतिक महत्व

① पाकिस्तान को नियंत्रित किया जा सकता है।

② OIC के घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर को शामिल नहीं किया गया।

③ OIC में चार महाद्वीप के 57 देश शामिल हैं अत: रणनीतिक महत्व है।

④ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

सुझाव

① भारत को OIC, APEC, G-7, UNSC आदि की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

② OIC के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहिये।

OIC में भारत का निमंत्रण भारत के बढ़ते वैश्विक दृष्टिकोण को ~~दर्श~~ दर्शाता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना का उद्देश्य :-

(1) चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना।

(2) जापान-अमेरिका आदि से वैश्विक सहयोग को बढ़ाना।

(3) चीन की स्ट्रिंग आफ पर्ल्स पॉलिसी के उत्तर में स्वयं की सुरक्षा को मजबूत करना।

भारत के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र का भू-राजनीतिक महत्व :-

(1) भारत के विश्व व्यापार का 80% इसी क्षेत्र से होता है।

(2) भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

आवश्यक है (2008 का मुंबई हमला समुद्री मार्ग से ही हुआ था)

(3) भारत मालदीव - मॉरीशस, सेशेल्स आदि देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।

सरकारी प्रयास

(1) सिंगापुर के चांगी बंदरगाह, ओमान के दुकुम बंदरगाह पर भारत ने विशेष सुविधाएं प्राप्त की हैं।

(2) फ्रांस के साथ सहयोग।

(3) क्वाड (अमेरिका - जापान - आस्ट्रेलिया - भारत) की सदस्यता प्राप्त की है।

(4) मालाबार युद्ध अभ्यास।

• चीन के बढ़ते प्रभाव तथा अमेरिका जैसे देशों द्वारा इस क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयासों को देखते हुए यह बेहतर कदम है।

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये।
(Candidate mu... write on this m...)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

17वीं लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान विभिन्न चुनाव सुधारों पर तीव्र बहस देखने को मिली।

हाल ही में लागू चुनाव सुधार

① इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग।

② EVM में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) का प्रयोग सभी मतदान केंद्रों पर किया गया।

③ आचार संहिता में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए मोबाइल एप लॉन्च की गई थी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(4) चुनावों में सहभागिता बढ़ाने के लिए EC द्वारा SVEEP प्रोग्राम चलाया गया।

(5) अपराधी प्रत्याशियों के ब्यौरों को अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।

(6) सोशल मीडिया में चुनावी दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की गई।

चुनाव सुधार सम्बंधी मुद्दे

(1) आपराधिक प्रत्याशियों को रोका जाए। < 16 वीं लोकसभा में – 34%; 17 वीं लोकसभा में 43% आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए
पहली लोकसभा – 4.4 %
16 वीं " – 11 %
17 वीं " – 14 %

ऐसे 50 % आने में 150 वर्ष लग जाएंगे अतः महिलाओं को 33 % सीटों पर आरक्षण दिया जाए।

(3) सेना के नाम पर, धर्म, जाति के नाम पर वोट मांगने से 17 वीं लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। अतः आचार संहिता को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

(4) चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र सचिवालय हो।

(5) अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी मुख्य निर्वाचन के समान पद से हटाया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है।

आयोग द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक सीमाएँ

① सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित पैनल की शक्तियों का मुद्दा।

② सिविल न्यायालय की शक्तियों का सही पालन न हो पाना।

③ 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हुए मामले की सुनवाई नहीं कर सकता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(4) क्षतिपूर्ति की केवल सिफारिश कर सकता है।

(5) गुप्तचर संस्थाओं व सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच नहीं कर सकता है।

व्यावहारिक सीमाएँ

(1) इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं अतः उन्हें राज्य व केंद्र सरकार प्रायः लागू नहीं करती

(2) स्वयं का जाँच दल न होने के कारण समस्याएँ आती हैं।

(3) सजा नहीं दे सकता इसलिए इसके आदेशों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)
drishti दृष्टि The Vision
www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उपर्युक्त समस्याओं के कारण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मानवाधिकार आयोग को 'दंतविहीन शेर' की संज्ञा दी।

सुझाव

(1) स्वयं का मजबूत जाँच दल हो।

(2) कुछ मामलों में सिफारिशें बाध्यकारी हों।

(3) सशस्त्र बलों द्वारा कुछ मुद्दों को भी सौंपा जाना चाहिए।

(4) वेतन, भत्ते संचित निधि पर भारित हों।

मानवाधिकार आयोग के लोकतंत्र में महत्व को देखते हुए कुछ विद्वान इसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने का समर्थन करते हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा नीति आयोग ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का समर्थन किया है।

~~[illegible]~~ लाभ

① बार-बार होने वाले चुनावों के कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं।

② सशस्त्र बलों की मुख्य भूमिका प्रभावित होती है।

③ जाति-धर्म के नाम पर सामाजिक माहौल नहीं बिगड़ेगा।

④ चुनावों में धन-बल के प्रयोग को सीमित किया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं चाहिये।
(Candidate m... write on this m...)

चिंताएँ

① राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण महत्व के हो जाएँगे।

② राज्य के राजनीतिक दलों का विकास रुकेगा।

③ राजनेता जनता के प्रति कम उत्तरदायित्व रखेंगे क्योंकि बार-बार चुनावों में अब उन्हें जनता का सहयोग नहीं चाहिए।

④ यह संसदीय लोकतंत्र से भारत को राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर ले जा सकता है।

⑤ सरकार पर जनता का नियंत्रण कम होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

(1) संविधान में लोकसभा व विधानसभा की स्पष्ट अवधि का प्रावधान नहीं है।

(2) यदि अविश्वास प्रस्ताव से संसद या किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तब चुनाव कैसे होगा?

(3) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के प्रयोग के बाद चुनाव कितने समय बाद होगा।

सुझाव

(1) इस सम्बंध में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का सुझाव दिया गया है।

(2) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जा सकता है।

अतः इस सम्बंध में कोई समिति बनाकर सुझाव आमंत्रित करने चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सार्वभौमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत को प्रारम्भ किया गया। इसके दो घटक हैं।

(1) स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र →

- 1.5 लाख प्राथमिक केंद्रों की स्थापना।
- इसमें गैर-संक्रमित रोगों का इलाज किया जायगा।
- दवाएँ व निदान पूर्णत: मुफ्त होगा।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

- इसमें द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए 10 करोड़ परिवारों (50 करोड़ व्यक्तियों)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

को 5 लाख ₹ प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जायगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

समालोचनात्मक विश्लेषण

+ve

① इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवहार्यता बढ़ेगी।

② आउट आफ पोकेट व्यय कम होगा। वर्तमान में 34% होता है।

③ भारत के 82% व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा से बाहर हैं अतः सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बढ़ेगा।

④ यह योजना केशलेस है इससे निर्धनों को आसानी होगी।

⑤ योजना की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कारण प्रवासी श्रमिकों को फायदा होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(-ve)

① यह योजना लाभार्थियों के चयन के लिए SECC-2011 का प्रयोग करेगी अतः सही लाभार्थियों की पहचान एक चुनौती है।

② इसका खर्च केंद्र व राज्य 60:40 में उठाएंगे। परंतु राज्य से इसके लिए कोई सलाह नहीं ली गई अतः दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ने अनिच्छा व्यक्त की है।

③ बीमा के लिए निजी कंपनियों का चुनाव भी बड़ा मुद्दा है।

कुल मिलाकर कदम सकारात्मक है। राज्यों का सहयोग प्राप्त करते हुए इसके क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. सरकार की ससदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे?
(250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India?
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत ने लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली के स्वरूप को अपनाया है।

गुण

① शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहता है।

② कार्यपालिका पर स्पष्ट नियंत्रण हो जाता है।

③ जनता के प्रतिनिधि ही संसद के माध्यम से कानून बनाते हैं।

④ इसमें विपक्ष का भी सत्ता पर नियंत्रण रहता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(5) विधेयकों पर पर्याप्त बहस होने के बाद ही कानून बनते हैं।

(6) ऐसे व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ सकते उन्हें भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है (राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनित किया जाता है))

दोष

(1) सरकार में अस्थिरता बनी रहती है।

(2) सरकारी नीतियों में निश्चितता नहीं रहती।

(3) कानून पारित करने में विलम्ब होता है।

(4) विशेषज्ञ व्यक्ति कार्यपालिका में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

नहीं आ पाते क्योंकि संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं।)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण

① ब्रिटिश शासन के दौरान जनता ने इससे परिचित हो चुकी थी।

② हमने स्थायित्व के स्थान पर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया।

③ कानून बनने में विलम्ब तो होत है लेकिन त्रुटियों की संभावना कम होती है।

वेंकट चैलेया समिति ने भारत में संसदीय प्रणाली का परीक्षण किया था तथा इसे भारत के लिए उपयुक्त माना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका के माध्यम से ही शासन प्रशासन का सही संचालन संभव है।

इनके मध्य स्वस्थ सम्बंध सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों ?

(1) राजनीतिक कार्यपालिका की बनायी नीतियाँ स्थायी कार्यपालिका ही मूर्त रूप देती है।

(2) राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण के लिए स्थायी कार्यपालिका के ज्ञान, अनुभव की आवश्यकता होती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(3) स्वस्थ सम्बंधों से मनी लॉन्डरिंग, ब्लैक मनी, ट्रैफिकिंग जैसे बढ़ते अपराधों को रोका जा सकता है।

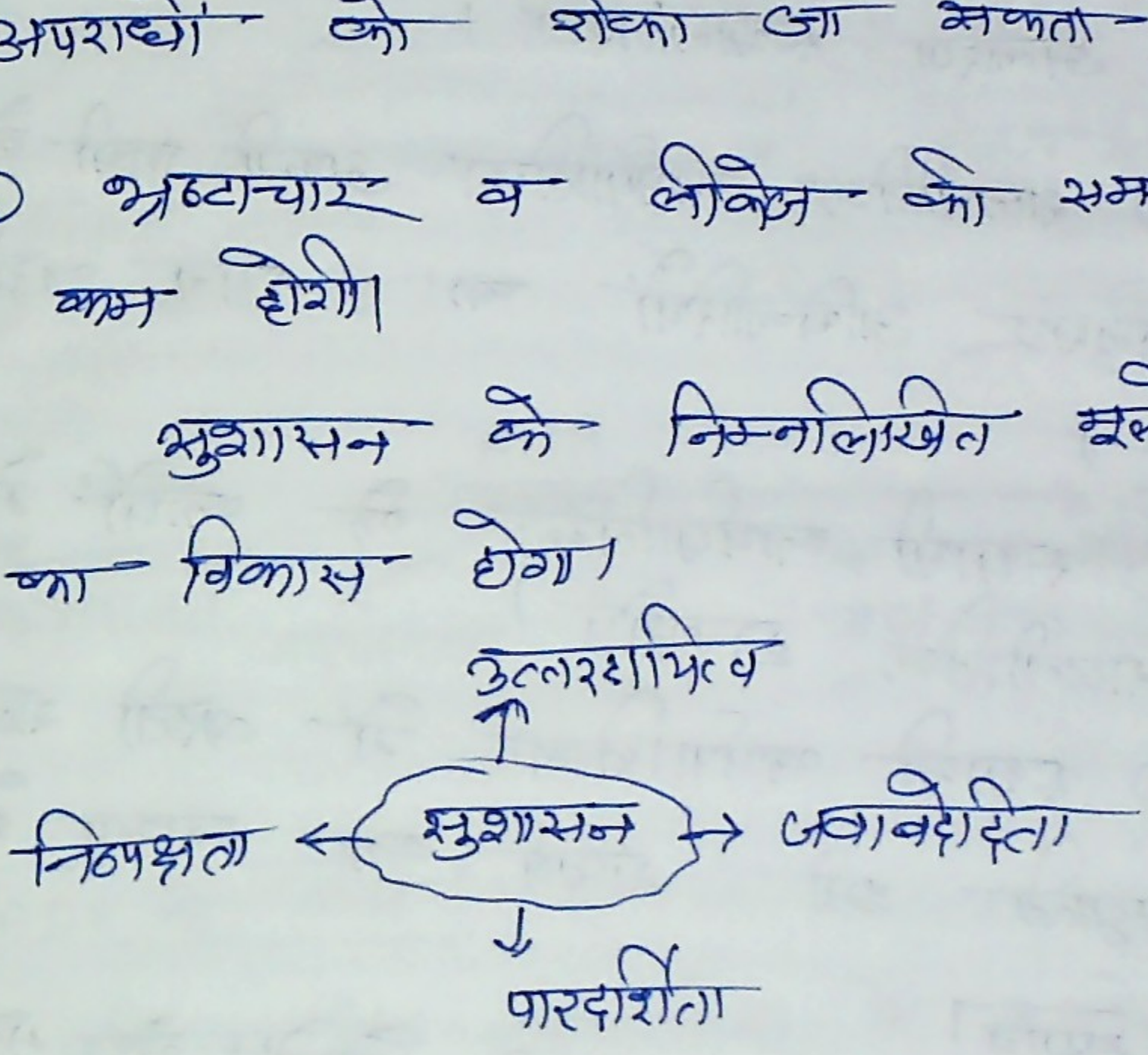

(4) भ्रष्टाचार व लीकेज की समस्या कम होगी।

सुशासन के निम्नलिखित मूल्यों का विकास होगा।

<u>यदि स्वस्थ सम्बंध नहीं हैं तो</u>

(1) सुशासन अवरुद्ध होगा।

(2) नीतियों में अवरोध पैदा होगा।

(3) भ्रष्टाचार व अव्यवस्था बढ़ेगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

व्यवहार में दोनों के मध्य संघर्षपूर्ण क्षेत्र

① स्थायी कार्यपालिका का तीव्र व अकारण स्थानांतरण।

② राजनीतिक कार्यपालिका अपनी रुची के अनुसार अधिकारियों का चयन करती है।

③ स्थायी कार्यपालिका के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप।

④ स्थायी कार्यपालिका में बढ़ती राजनीतिक प्रवृत्ति भी संघर्ष का कारण है।

सुझाव

① IIARC ने कहा कि दोनों के मध्य संघर्ष को रोकने के लिए इनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों की सूची में स्पष्टता होनी चाहिए।

अतः सुशासन हेतु दोनों के मध्य स्वस्थ सम्बंधों का विकास होना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र में मामलों का तीव्र व सुगम निपटारा हो जाता है।

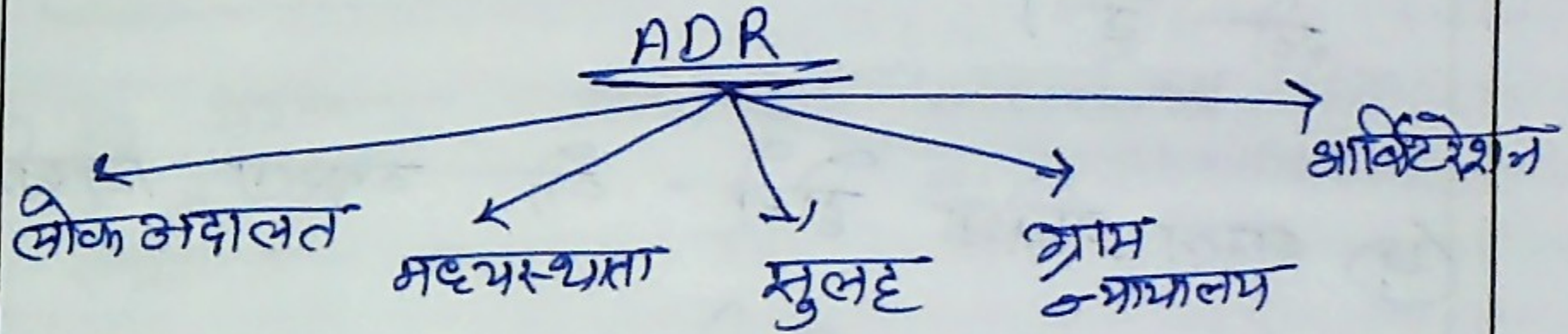

ADR के लाभ

① वर्तमान में न्यायपालिका में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इन्हें ADR के माध्यम से हल किया जा सकता है।

② ~~विवाद~~ ADR के तहत निर्णयों से न्यायपालिका पर बोझ कम होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3) ADR से व्यापार करना आसान होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया कि विभिन्न कानूनी विवादों के कारण 22% योजनाएँ देरी में चल रही हैं।

(4) सरल प्रक्रिया होने के कारण निर्धनों की सहायता करेगी।

ADR संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है क्योंकि —

1. अभी भी अधिकांश मामलों को ADR में ले जाए बिना सीधे कोर्ट में ले जाया जाता है।

2. अभी यह केवल सिविल मामलों तक ही सीमित है। आपराधिक मामले

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

इसके माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए भी अभी इसका प्रयोग नहीं हुआ है।

सरकारी प्रयास

① सरकार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित कर रही है।

② ADR के लिए फंड में वृद्धि की है।

सुझाव

① जनता के मध्य ADR के सम्बंध में जागरूकता बढ़ायी जाए।

② सिविल मामलों को कोर्ट से पहले ADR के माध्यम से सुलझाना अनिवार्य किया जाए।

ADR की संभावनाओं का पूर्ण प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिख
चाहिये।
(Candidate must n
write on this marg

हाल ही में संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया।

प्रमुख प्रावधान

① जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया है गया है।

② जम्मू-कश्मीर को भी पूर्ण राज्य के स्थान पर दिल्ली व पांडुचेरी की तरह विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है।

③ अर्थात् पूर्व जम्मू कश्मीर को लद्दाख व J&K में बांट गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिए गए विशेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित थे —

1. जम्मू-कश्मीर का स्वयं का संविधान तथा झंडा होगा।

2. संसद का कोई भी अधिनियम राज्य विधानसभा की सहमति के बाद ही राज्य पर लागू होगा।

3. संविधान का भाग VI, IV क, IV आदि भी राज्य पर लागू नहीं थे।

अनुच्छेद 370 को रद्द करने के संभावित निहितार्थ

1. इससे J&K में अलगाववाद, आतंकवाद

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा।

2. देश-विदेश की कंपनियाँ J&K में निवेश करेगी इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

3. पाकिस्तान का हस्तक्षेप कम होगा।

4. अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के लिए बोला गया था अतः Art 370 रद्द करने से अब भारत के आंतरिक मामलों में अन्य देश की संभावना नहीं है।

5. Art-35A हटने से महिलाओं को समानता मिलेगी।

6. राज्य में आरक्षण लागू होगा।

अतः अनुच्छेद 370 हटने से संभावना है कि J&K का विकास होगा तथा आतंकवाद, अलगाववाद रुकेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है?

(250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों में मौहम्मद सालेह राष्ट्रपति बने तथा पहली यात्रा भारत की की है।

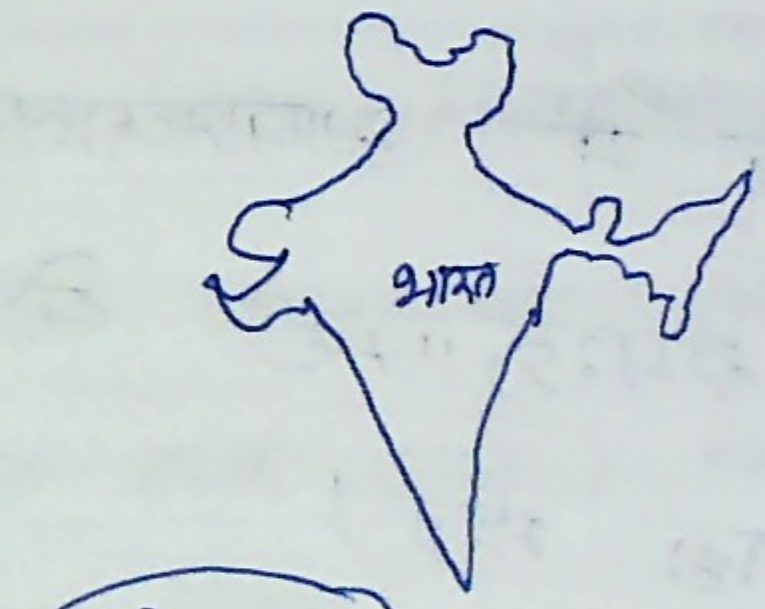

भारत-मालदीव के समक्ष मतभेद

(1) पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के द्वारा चीन को अधिक वरीयता दी गई
- चीन से मुक्त व्यापार समझौता।
- कई द्वीपों का विकास
- चीन की OBOR का समर्थन।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② भारत की GMR कंपनी का एयरपोर्ट विकास के लिए अनुबंध रद्द कर दिया गया।

③ भारतीय नागरिकों के लिए कार्य वीजा मानक कठिन किए गए।

④ मालदीव में आपातकाल के समय भारतीय एयरक्राफ्ट को वापस देने को कहा गया।

नई सरकार से मतभेद समाप्त हो रहे हैं

① सालेह के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी ने मालदीव की यात्रा की तथा सालेह ने भारत की यात्रा की।

② भारत ने 10 b$ के सहयोग देने का वादा किया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(3) इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन (IORA) में भारत के द्वारा मालदीव की सदस्यता का समर्थन किया गया।

(4) कामनवेल्थ में भी मालदीव की सदस्यता के लिए भारत समर्थन दे रहा है।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

(1) चीन की भारत को घेरने की नीति (स्ट्रिंग आफ पर्ल्स) का विरोध करने के लिए।

(2) हिन्द महासागर की सुरक्षा के लिए।

(3) बढ़ते कट्टरवाद व आतंकवाद को समाप्त करने के लिए।

भारत ने ऑपरेशन कैक्टस तथा मालदीव जल संकट के समय पहले भी समर्थन प्रदान किया है अतः नई सरकार के साथ सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ~~भारत~~ सुधार के लिए भारत व्यक्तिगत तथा G-4 समूह (भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी) के माध्यम से प्रयास करता रहा है।

UNSC में सुधारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण

① 1945 में UNSC गठन के समय UNO के 130 सदस्य थे अब 193 सदस्य है। अतः UNSC के सदस्य संख्या का भी विस्तार किया जाए।

② UNSC में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) को सदस्यता प्राप्त

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

होनी चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ UNSC का लगभग 2/3 कार्य अफ्रीका महाद्वीप पर केंद्रित है लेकिन अफ्रीका के किसी भी देश को UNSC में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है।

④ द्वितीय विश्व युद्ध ~~हुआ~~ (1939-1945) के बाद इसमें विजित राष्ट्रों को सदस्यता दी गई लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य 1945 जैसा नहीं है

⑤ वैश्विक सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पाँच देशों को नहीं दी जा सकती। अब विश्व दो ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय है अतः UNSC में सुधार होना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुधारों में लागू करने में विलम्ब के कारण

1. कॉफी क्लब (इसका नेतृत्व इटली करता है तथा पाकिस्तान भी सदस्य है) द्वारा G-4 के प्रयासों का विरोध किया जाता है।

2. चीन की वीटो पावर भारत के प्रयासों में बाधा है।

3. अमेरिका भी बाधा पहुँचाता है।

समय की माँग है कि भारत को UNO, NAM, G-20, G-7, OIC आदि मंचों से UNSC में सुधार के लिए आवाज प्रबल करनी चाहिये।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation